

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह

प्रलिस के लिये:

मृत्युदंड से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले, मृत्युदंड के प्रावधान, अनुच्छेद 21।

मेन्स के लिये:

न्यायापालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, मृत्युदंड और इससे संबंधित तर्क।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने सात वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

- यह निर्णय [मृत्युदंड](#) के वरिध के कारणों हेतु एक महत्त्वपूर्ण मसाल बन सकता है।

वर्तमान मामले पर SC का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के आदेश को बना किसी फूट के संशोधित करते हुए 30 साल की सजा में बदल दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल जजों को सलाह दी कि उन्हें केवल अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव के कारण उन्हें आजीवन कारावास के कारकों पर समान रूप से विचार करना चाहिये।
- SC ने दंडशास्त्र (Penology) के सिद्धांतों के विकास का उल्लेख किया और कहा कि "मानव जीवन के संरक्षण" के सिद्धांत को समायोजित करने के लिये दंडशास्त्र आवश्यक है।
 - पेनोलॉजी अपराध विज्ञान का एक उप-घटक है जो आपराधिक गतिविधियों को दबाने के अपने प्रयासों में विभिन्न समाजों के दर्शन और व्यवहार से संबंधित है।
- SC ने कहा, मृत्युदंड एक नविकारक और "मामलों में उचित सजा हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया" के रूप में कार्य करता है।
- **दंड का सिद्धांत** "समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिये विकसित किया गया है, जिसमें मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करना और समाज की रक्षा एवं सेवा करना शामिल है।

मृत्युदंड:

- मौत की सजा, जिसे मृत्युदंड भी कहा जाता है, किसी अपराधी को एक आपराधिक कृत्य के लिये अदालत द्वारा मलिनने वाला सर्वोच्च दंड है। आमतौर पर यह हत्या, बलात्कार, देशद्रोह आदि अत्यंत गंभीर मामलों में दिया जाता है।
- मृत्युदंड को सबसे खराब अपराधों के लिये सबसे उपयुक्त सजा एवं प्रभावी नविकारक के रूप में देखा जाता है। हालाँकि इसका वरिध करने वाले इसे अमानवीय मानते हैं। इस प्रकार मौत की सजा की नैतिकता बहस का विषय है और दुनिया भर में कई मानवाधिकारवादी व समाजवादी लंबे समय से मौत की सजा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क:

- **प्रतिशोध:** प्रतिशोध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में वह सजा मलिननी चाहिये जिसके वे हकदार हैं।
 - इस तर्क में कहा गया है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिशोध होता है।
- **नविकारण:** मृत्युदंड को अक्सर इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि सजायाफ्ता हत्यारों को मृत्युदंड देकर हम हत्यारों को लोगों को मारने से रोक सकते हैं।
 - अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करता है।

मृत्युदंड के वपिक्ष में तरक:

- **नरिध अपरभावी:** सांख्यकीय साकष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कयिह नवारक प्रकरया कार्य करती है। ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं हैं जनिसे ये नरिधारति कया जा सके कभृत्युदंड से बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है।
 - वर्ष 2013 से बलात्कार के मामलों में मृत्यु नरिधारति की गई है (आईपीसी की धारा 376 A), फरि भी आमतौर पर बलात्कार की घटनाएँ सामने आती रहती हैं और वास्तव में बलात्कार की करूरता कई गुना बढ़ गई है। यह हर कसिी को यह सोचने के लयि मज़बूर करता है कभ अपराध के लयि मृत्युदंड एक प्रभावी नवारक है।
- **बेगुनाह को सज़ा मलिने की आशंका:** मृत्युदंड के खलिफ सबसे आम तरक यह है कन्याय प्रणाली में गलतयिों या खामयिों के कारण देर-सबेर नरिदोष लोग मारे जा सकते हैं।
 - **एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार,** जब तक मानवीय न्याय दोषपूर्ण रहेगा, तब तक नरिदोषों को फाँसी देने के जोखमि को समाप्त नहीं कया जा सकता है।
 - अधकिंश वकिसति देशों में सज़ा के रूप में मृत्युदंड को समाप्त कर दया गया है।
- **पुनरवास का अभाव:** मृत्युदंड कैदी का पुनरवास नहीं करता है जसिसे वह समाज में वापसी कर सके।

भारतीय संदरभ में मृत्युदंड की स्थति:

- 1955 के **आपराधकि प्रकरया (संशोधन) अधनियम (Cr PC)** से पहले भारत में मृत्युदंड नयिम और आजीवन कारावास एक अपवाद था।
 - इसके अलावा न्यायालय मृत्युदंड के स्थान पर हलका दंड देने हेतु स्पष्टीकरण देने को बाध्य था।
- वर्ष 1955 के संशोधन के बाद न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के लयि स्वतंत्र था।
 - सीआरपीसी, 1973 की धारा 354 (3) के अनुसार, न्यायालयों को अधकितम दंड देने हेतु लखिति में कारण बताना आवश्यक है।
 - वर्तमान में स्थति इसके वपिरीत है जसिमें गंभीर अपराध के लयि आजीवन कारावास की सज़ा एक नयिम है और मृत्युदंड की सज़ा एक अपवाद।
 - इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड के खलिफ वैश्वकि रोक के बावजूद भारत में मृत्युदंड बरकरार है।
 - भारत का दृष्टकिण है कनरिदयी, जान-बूझकर और नृशंस हत्या के दोषी अपराधयिों को कम सज़ा देने से इस कानून की प्रभावशीलता कम हो जाएगी जसिका परणाम न्याय का उपहास होगा।
- इस संदरभ में वर्ष 1967 की वधिआयोग की 35वीं रपिर्ट में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रस्ताव को खारज़ि कर दया गया था।
- भारत में आधिकारकि आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 720 लोगों को फाँसी हुई है जो कभ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा पाने वाले लोगों का एक छोटा सा अंश है।
 - अधकिंश मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दया गया था और कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा बरी कर दया गया था।

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य नरिणय

- **जगमोहन सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कभनुच्छेद-21 के अनुसार, जीवन से वंचति करना संवैधानकि रूप से अनुमेय है यदयिह कानून द्वारा स्थापति प्रकरया के अनुसार कया जाता है।
 - इस प्रकार CrPC और भारतीय साकष्य अधनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से स्थापति प्रकरयाओं के अनुसार, मुकदमे के बाद सुनाई गई मौत की सज़ा अनुच्छेद-21 के तहत असंवैधानकि नहीं है।
- **राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कभयिदएक वयक्तीका आपराधकि कृत्य योजनाबद्ध एवं खतरनाक तरीके से सामाजकि सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसके मौलकि अधकिारों को समाप्त कया जा सकता है।
- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य वाद (1980):** सर्वोच्च न्यायालय ने 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की उक्तीको प्रतपिादति कया, जसिके अनुसार 'दुर्लभतम मामलों' को छोड़कर कसिी भी अन्य मामले में मृत्युदंड नहीं दया जाना चाहयि।
 - 'दुर्लभतम मामलों' को नमिनलखिति आधार पर परभिषति कया जा सकता है:
 - जब हत्या बेहद करूर, हास्यास्पद, शैतानी, वदिरोही, या नदिनीय तरीके से की जाती है ताकभसमुदाय में तीव्र और अत्यधिक आकरोश पैदा हो।
 - जब हत्या के पीछे का मकसद पूरी तरह से भ्रष्टता और करूरता है।
- **माछी सहि बनाम पंजाब राज्य वाद (1983):** सर्वोच्च न्यायालय ने कसिी भी मामले को 'दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में शामिल करने अथवा न करने हेतु अपने वचिर परसतुत कयि।

आगे की राह

- केवल सज़ा बढ़ाने के बजाय, महिलाओं एवं बच्चों के खलिफ अपराधों से नपिटने के लयि व्यापक सामाजकि सुधारों, नरिंतर शासन संबंधी प्रयासों और जाँच एवं रपिर्टगि तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हदि

